

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023-24/ 6934

दिनांक- 08/08/23

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना,
देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा
छात्रवृत्ति योजना विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड.) संबल योजना एवं
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में ऑनलाईन आवेदन हेतु तिथि में अभिवृद्धि बाबत।
संदर्भ:- विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञापित क्रमांक-6611 दिनांक-30.06.2023 तथा 6849
दिनांक-31.07.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित योजनाओं हेतु छात्रवृत्ति
पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 08.08.2023 है जिनमें निम्नानुसार दिनांक-16.08.
2023 तक अभिवृद्धि की जाती है -

क्र. सं.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2023-24	01.07.2023	16.08.2023
2	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना	2023-24	01.07.2023	16.08.2023
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2023-24	01.07.2023	16.08.2023
4	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :- 1. उच्च शिक्षा विभाग-12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्ग की छात्राओं हेतु) 2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) 3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग) 5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2023-24	01.07.2023	16.08.2023
5	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2023-24	01.07.2023	16.08.2023

Signature valid

d:\scholarship\online scholarship\year 2023-24 date extend.docx

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.08 11:04:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4478144



योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल् आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023-24/ 6935-39 दिनांक- 08/08/23
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

d:\scholarship\online scholarship\year 2023-24 date extend.docx

Digitally signed by Suraj Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.08 11:04:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4478144

